न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम, आर.ए.एस

अपील संख्या : आरटीए/223/2017/092 (कंप्युटर सं.2017/00155)

1. श्रीमती कमला पत्नी भोमाराम जाट
2. श्रीमती मनुडी पत्नी भूराराम जाट

निवासीगण शैतानसिंह नगर, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब ना म

1. अचलाराम पुत्र कुशलाराम
2. हरीराम पुत्र गिरधारीराम
3. श्रीमती हेमी पत्नी टीकूराम
4. पेमाराम पुत्र शेराराम
5. रामुराम पुत्र लुम्बाराम
6. श्रीमती तुलछी पत्नी गिरधारीराम
7. रतनाराम पुत्र गुलाराम
8. मूणाराम पुत्र गुलाराम
9. सिमरथाराम पुत्र गैनाराम
10. किसनाराम पुत्र गैनाराम
11. भीयाराम पुत्र गैनाराम
12. भगवानाराम पुत्र लिखमाराम
13. सुण्डाराम पुत्र लिखमाराम जरिये कायममुकामान-
    - 13.1. मालाराम पुत्र सुण्डाराम
    - 13.2. खेताराम पुत्र सुण्डाराम
14. भोमाराम पुत्र दलाराम
15. बालुराम पुत्र प्रहलादराम
16. जैताराम पुत्र प्रहलादराम
17. गिरधारीराम पुत्र प्रहलादराम
18. आसुराम पुत्र प्रहलादराम जरिये कायममुकामान -
    - 18.1. मोहनराम पुत्र आसुराम
    - 18.2. श्रीमती चम्पा पत्नी आसुराम
19. जवाराराम पुत्र प्रहलादराम जरिये कायममुकामान -

19.1. श्रीमती नखतु पत्नी जवाराराम
19.2. बुधाराम पुत्र जवाराराम
19.3. गोमी पुत्री जवाराराम
19.4. जडाव पुत्री जवाराराम
20. मगाराम पुत्र प्रहलादराम
21. देवाराम पुत्र करणाराम जरिये कायममुकामान -
21.1. पुरखाराम पुत्र देवाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण शैतानसिंहनगर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी
23. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा छीला, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 11 फरवरी 2017 राजस्व वाद संख्या 207/2010 अचलाराम बनाम हरीराम इत्यादि

उपस्थित-

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी
रेस्पो. संख्या सात की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. चौधरी
रेस्पो. संख्या 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि ण र्य

दिनांक : 13 जुलाई 2018

विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 207/2010 अचलाराम बनाम हरीराम आदि (राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) में दिनांक 11 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दिनांक 11 फरवरी 2017 को पारित आदेश एवं फाइनल डिकी के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 06 नवम्बर 2017 को आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अपील मीमो के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 111 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा के छठें हिस्से का हितबद्ध पक्षकार होना, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं बनाये जाने उनके हित प्रतिकूलरुपेण प्रभावित होने के कारण उन्हें अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

साथ ही अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया, क्योंकि न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया, अतः अपीलाधीन आदेश एवं डिकी की समुचित समय में उन्हें जानकारी नहीं हो पायी।

उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों बाबत सुनवाई एवं आदेश सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की जाकर रेस्पो. को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। तामील तलबी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त बहस समायत की गयी।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व ग्राम शैतानसिंह नगर स्थित आराजी

1) खसरा संख्या 75 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा,
2) खसरा संख्या 77 रकबा 64 बीघा,
3) खसरा संख्या 78 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा,
4) खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा,
5) खसरा संख्या 97 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा,
6) खसरा संख्या 99 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा,
7) खसरा संख्या 101 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा,
8) खसरा संख्या 109 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा,
9) खसरा संख्या 110 रकबा 04 बिस्वा,

10) खसरा संख्या 111 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा,
11) खसरा संख्या 115 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा,
12) खसरा संख्या 116 रकबा 05 बिस्वा,
13) खसरा संख्या 117 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा,
14) खसरा संख्या 118 रकबा 14 बिस्वा
15) खसरा संख्या 120 रकबा 35 बीघा
16) खसरा संख्या 353 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा
17) खसरा संख्या 354 रकबा 32 बीघा 05 बिस्वा
18) खसरा संख्या 355 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा
19) खसरा संख्या 356 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा

के संबंध में वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत एक राजस्व वाद पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2016 जो स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गये। उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्तुत प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2017 को अपीलाधीन आदेश एवं फाइनल डिकी जारी की गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि रेस्पो.(वादीगण और प्रतिवादीगण) द्वारा दुराभिसन्धि करते हुए मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और पुराने राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा डिकी करवा लिया गया, जबकि वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 111 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा में रेस्पो. संख्या 21/1 का छठां हिस्सा था, जो अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 07 जून 2011 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख कय कर लिया गया एवं जिसके आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में म्युटेशन संख्या 912 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072-2075 में अपीलाण्ट का नाम उनकी उक्त कयशुदा भूमि बाबत रेस्पो. के साथ बहैसियत सहखातेदार दर्ज हो

गया। इसके उपरान्त भी न तो मूल वाद में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिकी किये जाने के पूर्व वादग्रस्त आराजियात से संबंधित वर्तमान अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया और न ही प्राथमिक डिकी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव बनाये जाने एवं तदनुसार फाइनल डिकी जारी करने के पूर्व अपीलाण्ट-सद्भावी केता, जो कि वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 111 का सहखातेदार है, को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 फरवरी 2017 विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे एवं अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर आराजी खसरा संख्या 111 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा के छठें हिस्से की अपीलाण्ट्स की कयशुदा भूमि विधिवत अलग की जाकर जरिये बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद एवं तरमीम किये जाने की आज्ञा प्रसारित की जावे।

रेस्पो. संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता अपीलाधीन आदेश एवं फाइनल डिकी का समर्थन किया एवं कथन किया कि आलौच्य अपील मात्र फाइनल डिकी के खिलाफ पेश की गयी है, मूल वाद में पारित प्राथमिक डिकी को विधिवत कोई चुनौती नहीं दी गयी है, फाइनल डिकी वस्तुतः प्राथमिक डिकी का कियान्वयन मात्र है और तत्संबंधित कोई प्रकिया पूर्ण नहीं की जावे अथवा सही ढंग से निष्पादित नहीं की जावे तो फाइनल डिकी को त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है, जबकि आलौच्य अपील में जो अनुतोष चाहा गया है, वह इस प्रकृति का नहीं है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा आराजी खसरा संख्या 111 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा शैतानसिंहनगर तहसील फलोदी की संवत 2072-2075 की जो

नकल जमाबंदी पेश की गयी है, उसका अवलोकन करने से विदित होता है कि अपीलाण्ट्स का नाम भी उक्त आराजी बाबत बतौर सहखातेदार दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट्स का नाम पुरखाराम पिसरान पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 07 जून 2011 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 912 के आधार पर दर्ज किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विद्वान वकील अपीलाण्ट्स के तर्क से सहमत है कि मामले में अपीलाण्ट्स हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है, अतः प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय तथा अपीलाधीन आदेश एवं फाइनल डिकी जारी किये जाने के पूर्व वादग्रस्त आराजियात से संबंधित वर्तमान राजस्व रिकार्ड तलब किया जाकर वस्तुस्थिति का आकलन किया जाकर अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। यही नहीं, विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिकी में दिये गये निर्देशों की पालना भी नहीं की गयी है।

इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एवं फाइनल डिकी जारी किये जाने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है।

चूंकि अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं पारित डिकी बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं हो पाना स्वभाविक है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उन्हें इस प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार माना जाता है और अपील पेश करने की स्वीकृति दी जाती है। इसी प्रकार समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

13/7

आदेश एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2017 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया जाकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी से संबंधित वर्तमान राजस्व अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाकर फाइनल डिक्री पारित की जाने की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13 जुलाई 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर